मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3–107/2015/18–5 भोपाल दिनांक / /2015

प्रति,

1. कलेक्टर,
   जिला खण्डवा
2. उप संचालक
   नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
   खण्डवा ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत खण्डवा
4. आयुक्त
   नगर निगम खण्डवा ।

विषय :–खण्डवा विकास योजना 2011 में उपांतरण बाबत्।

राज्य शासन ने खण्डवा विकास योजना 2011 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– यथोपरि

1146/TC
20/11/15

1734
20/11/15
T.C

(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

पृ0क्र0–एफ 3–107/2015/18–5 भोपाल दिनांक 16/11/2015

प्रतिलिपि :–

संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

19/11

20.11.15
D'man(S)
कृपया आज ही website पर प्रकाशन करेंं।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

16/11/15

(10)

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

विकास योजना में उपांतरण हेतु सूचना

भोपाल, दिनांक 16-11-2015

क्रमांक–एफ–3–107/2015/18–5 :: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,(संशोधित) 1973 (क्रमांक–1 सन् 2012), की धारा 23–क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट खण्डवा विकास योजना 2011 में उपांतरण प्रस्तावित करती है।

अनुसूची

क्र0	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू–उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू–उपयोग
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	ग्राम चिराखान	1/5	7.77 हेक्टेयर में से 3.00 हेक्टेयर	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक	आवासीय
		योग–	3.00 हेक्टेयर		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे। प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एस के मुदगल)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

16/11/2015

(7)

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Environment Department
MANTRALAYA

Notice for modification in development Plan

Bhopal, Dated 16-11-15

No. F-3-107/15/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh (Sanshodhan) Adhiniyam, 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Khandwa Development Plan 2011 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE

No.	Village	Khasara No.	Area (in hec)	Land use specified in the development plan	Modified land use after modifications
1	2	3	4	5	6
1.	Gram-Chirakhan	1/5	3.00 hec outof 7.77 hec	Public & Semipublic	Residential
		Total	3.00 hec.		

Details of the proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, Khandwa as well as on the web site. **www.mptownplan.nic.in** for a period of 15 days from the date of publication of this notice. Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Environment Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

(S.K.Mudgal)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Development And
Environment Department

16/11/2015